

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन  
जिला चित्तौडगढ  
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/41/2018

दायर दिनांक 06.08.2018

उनवान		
ललीत कुमार	बनाम	जमनालाल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 08.06.2021

—:निर्णय:—

पत्रावली मूल वाद 78/2018 के साथ सिगेह से तलब हुई। पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी हाजिर। राजीनामे से प्रकरण में कार्यवाही नहीं चाहने के प्रार्थना पत्र से मूल वाद में कार्यवाही ड्राप की गयी। जिससे प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रही। प्रार्थना पत्र में इसी स्तर पर कार्यवाही ड्राप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(विनोद कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
कपासन

